

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous III Bail Application No. 1907/2026

Niranjan S/o Shri Gopal, Aged About 32 Years, Resident Of
Kulthana, Police Station Hathuniya, District Pratapgarh Raj.
(Presently Lodged In Dist. Jail, Pratapgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Zeeshan Ali Mr. Aslam Khan
For Respondent(s)	: Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

05/05/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह तृतीय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दंड प्रक्रिया संहिता) पुलिस थाना सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 163/2022 व विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या 95/2023, विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण, प्रतापगढ़, अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 व 29 एनडीपीएस एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस तृतीय जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 26.02.2023 को गिरफ्तार करने के बाद वह लगातार न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और प्रकरण का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के विचारण में अभी भी काफी समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तृतीय जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।
5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

6. इस मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14776/2023, Niranjana Vs. State of Rajasthan में दिनांक 06.03.2024 को धारा 37 एनडीपीएस एक्ट एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों पर विचार करते हुए विस्तृत रूप से आदेश पारित किया गया और यह माना गया कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त मुख्य अभियुक्त था और पिकअप बंद बाँड़ी में 08 क्विंटल 34 किलो 15 ग्राम डोडाचूरा कुल 39 कट्टों में पाया गया और निरंजन को मौके पर जितेन्द्र सिंह द्वारा पहचानना बताया गया है और जितेन्द्र सिंह बतौर गवाह पी. डब्ल्यू.01 न्यायालय में परीक्षित हुआ है। इस मामले में बलेनो कार का चालक प्रार्थी/अभियुक्त पिकअप के आगे-आगे एसकोर्ट करते हुए चलना मौके पर पाया गया और बलेनो गाड़ी व पिकअप गाड़ी एक साथ रूकी व उनके चालक एक साथ भागे व बलेनो गाड़ी की आर.सी. की फोटोप्रति पिकअप के डैश बोर्ड में पाई गई व पिकअप की सलुम्बर टोल प्लाजा की दिनांक 08.10.2022 की प्रति बलेनो कार के डैश बोर्ड में पाई गई। ऐसी अवस्था में धारा 37 (1)(बी) एनडीपीएस एक्ट की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान नहीं होना मानते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के डोडाचूरा बरामद होने से गंभीर प्रकृति का मामला मानते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था।

7. इस न्यायालय में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15077/2024 पेश किया गया, जो दिनांक 25.02.2025 को जरिये विड्रॉवल खारिज करवा लिया गया, जिसमें इस न्यायालय द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया गया कि जहां तक संभव हो प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करें।

8. इस मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व में विस्तृत विचार कर अपवादित परिस्थितियां होना नहीं पाया गया और धारा 436ए दंड प्रक्रिया संहिता (479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत आवेदन पेश नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में हस्तगत मामला गंभीर प्रकृति का होने से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः प्रार्थी/अभियुक्त निरंजन की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दंड प्रक्रिया संहिता) खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J